प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 13 दिसंबर, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष-2024-25 में जिला कारागार गोरखपुर मे मेनवाल का विस्तार कर 30 क्षमता की 04 नग बैरक इन्क्लोजरवाल सहित के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु संशोधित लागत की धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-25233/नम-3/(P-2)/गोरखपुर मेनवॉल/2022-23, दिनांक 14-08-2024 एवं पत्र संख्या-32589/नम-3/(P-2)/गोरखपुर मेनवॉल/2022-23, दिनांक 30-10-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या-40/2023/169/001-22-4-2023-8-budget-2023 दिनाक 29-03-2023 द्वारा जिला कारागार गोरखपुर में मेन वॉल का विस्तार कर 30 क्षमता की 04 नग बैरक इनक्लोजर वॉल सहित का निर्माण हेतु परियोजना की कुल लागत रू0 1223.67 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु धनराशि रू0 305.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या-73/2023/001-994-22-4-2023-1693908 दिनांक 15.12.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 में द्वितीय किश्त के रूप में रू० 305.91 लाख की वित्तीय स्वीकृति अर्थात कुल धनराशि रू0 611.82 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त निर्माण कार्य की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा संशोधित लागत धनराशि रू0 1188.24 लाख आंकलित की गयी है।

3- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला कारागार गोरखपुर में मेनवॉल का विस्तार कर 30 क्षमता की 04 नग बैरक इनक्लोजर वॉल सहित का निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा संशोधित लागत धनराशि रू0 1188.24 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-68/2024/772-22-4-2024-1693908, दिनांक 12-12-2024 द्वारा निर्गत की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला कारागार गोरखपुर में मेनवॉल का विस्तार कर 30 क्षमता की 04 नग बैरक इनक्लोजर वॉल सहित का निर्माण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0) द्वारा संशोधित लागत धनराशि रू0 1188.24 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 576.42 लाख (रूपया पॉच करोड़ छिहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-68/2024/772-22-4-2024-1693908, दिनांक 12-12-2024 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,76,42,000 (रुपये पाँच करोड़ छिहत्तर लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4059800510300 कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2024-772-1-22-4-2024-1693908, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, गोरखपुर।

(5) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।